भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-256

उत्तर देने की तारीख-12/08/2026

शिक्षा ऋण के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना

256 # **श्री राजेश परमानंद शुक्ल:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्राप्त, संस्वीकृत तथा निपटाए गए आवेदनों की कुल संख्या और संस्वीकृत ऋणों की कुल राशि तथा वास्तव में संवितरित ऋण राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) लक्षित 7 लाख नए विद्यार्थियों में से अब तक कितने विद्यार्थियों ने 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ उठाया है और इस घटक के अंतर्गत कुल कितनी राशि संवितरित की गई है; और

(ग) स्वीकृत, अस्वीकृत तथा लंबित आवेदनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“शिक्षा ऋण के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना” के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राजेश परमानंद शुक्ल द्वारा दिनांक 12.08.2026 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 256 के भाग क से ग के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): भारत सरकार ने नवंबर 2024 में केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना पीएम-विद्यालक्ष्मी आरंभ की है। इस योजना के तहत, उन सभी छात्रों को संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है जो उच्च गुणवत्ता वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में योग्यता-आधारित प्रवेश प्राप्त करते हैं और जो शिक्षा ऋण प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त, 8 लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए, यह योजना अधिस्थगन अवधि अर्थात पाठ्यक्रम अवधि के साथ एक वर्ष के दौरान 10 लाख रुपये तक के ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज छूट प्रदान करती है। प्रत्येक वर्ष एक लाख नए छात्र जो किसी अन्य छात्रवृत्ति या शिक्षा ऋण पर ब्याज अनुदान का लाभ नहीं उठा रहे हैं, वे इस ब्याज अनुदान के लाभ हेतु पात्र हैं। इस अवधि के दौरान 7 लाख नए छात्रों के लिए 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान लाभ प्रदान करने के लिए वर्ष 2024-25 से वर्ष 2030-31 तक 3,600 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है।

इसके अतिरिक्त, उच्चतर शिक्षा विभाग पीएम उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना (पीएम-यूएसपी) को कार्यान्वित कर रहा है। पीएम-यूएसपी के केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस) घटक के तहत, अधिस्थगन अवधि के दौरान भारत में तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का अध्ययन जारी रखने के लिए 10 लाख रुपये तक की ऋण राशि पर पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। जिन छात्रों की वार्षिक सकल माता-पिता/पारिवारिक आय ₹4.5 लाख तक है, वे इस योजना के तहत पात्र हैं। पीएम-यूएसपी सीएसआईएस को पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल और पीएम-विद्यालक्ष्मी डिजिटल रुपी वॉलेट के माध्यम से भी प्रशासित किया जा रहा है।

दिनांक 06 नवंबर, 2024 को इस योजना के आरंभ से दिनांक 3 अगस्त, 2026 तक, 190,579 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 119,641 संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त पीएम विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत राशि 16,488.71 करोड़ रुपये है। ये 5 वर्ष तक की पाठ्यक्रम अवधि के लिए हैं। शिक्षा ऋण आमतौर पर शैक्षिक संस्थान द्वारा निर्धारित सेमेस्टर या वर्ष-वार शुल्क समय-सारणी और अन्य आवश्यकताओं के आधार पर किश्तों में संवितरित किए जाते हैं। इसलिए, 106,906 ऋणों के लिए 4478.96 करोड़ रुपये जो स्वीकृत राशि का

27.16 प्रतिशत है, संवितरित किए गए हैं। किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज छूट के वार्षिक दावे अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होते हैं।

06 नवंबर, 2024 से 31 मार्च 2025 के दौरान, कुल 16,469 व्यक्तियों को पीएम विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण प्राप्त हुआ। इनमें से कुल 5534 आवेदकों को ब्याज छूट का लाभ मिला (4816 को 100% ब्याज छूट का लाभ मिला क्योंकि उनके परिवार की आय 4.5 लाख रुपये से कम थी और 718 को 3% ब्याज छूट का लाभ मिला, क्योंकि उनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम थी)।

प्राप्त, स्वीकृत, संवितरित, अस्वीकृत और लंबित पीएम-विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण आवेदनों का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक में है।

अनुलग्नक

"शिक्षा ऋण के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना" के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री राजेश परमानंद शुक्ल द्वारा दिनांक 12.08.2026 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 256 के भाग क से ग के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का राज्य-वार डेटा (दिनांक 06.11.2024 से 03.08.2026)									
क्र.सं.	**छात्र का राज्य**	**प्राप्त आवेदनों की संख्या**	**विद्यार्थियों द्वारा बंद/वापस लिए गए आवेदनों की संख्या**	**बैंकों द्वारा अस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या**	**विद्यार्थियों/बैंकों के स्तर पर लंबित आवेदनों की संख्या**	**स्वीकृत आवेदनों की संख्या**	**स्वीकृत राशि (रुपए करोड़ में)**	**राशि संवितरित किए गए आवेदनों की संख्या**	**संवितरित राशि (रुपए करोड़ में)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	141	47	9	9	76	10.52	66	2.87
2	आंध्र प्रदेश	14780	2800	484	1365	10131	1235.53	9144	339.71
3	अरुणाचल प्रदेश	64	25	1	8	30	6.47	26	1.02
4	असम	2787	787	143	200	1657	176.91	1458	47.69
5	बिहार	12071	3592	422	1240	6817	813.62	5860	193.94
6	चंडीगढ़	463	128	7	39	289	50.78	259	14.18
7	छत्तीसगढ़	1700	322	57	158	1163	186.78	1032	48.69
8	दिल्ली	9892	2456	283	1233	5920	943.55	5279	249.18
9	गोवा	392	86	9	36	261	35.33	230	12.51
10	गुजरात	4249	866	102	342	2939	539.10	2650	144.46
11	हरियाणा	7473	1938	286	754	4495	729.89	4000	182.40
12	हिमाचल प्रदेश	1514	308	58	129	1019	101.78	867	22.14
13	जम्मू और कश्मीर	978	275	13	168	522	56.79	435	14.01
14	झारखंड	7308	1887	158	608	4655	643.50	4007	156.43
15	कर्नाटक	10576	2712	464	972	6428	758.44	5857	248.80

16	केरल	8890	1797	299	846	5948	729.62	5372	215.50
17	लद्दाख	10	2	0	1	7	0.95	6	0.20
18	लक्षद्वीप	3	2	0	0	1	0.04	0	0.00
19	मध्य प्रदेश	7937	1690	183	717	5347	845.02	4792	219.57
20	महाराष्ट्र	16890	3839	482	1518	11051	1893.19	9829	525.30
21	मणिपुर	296	107	16	29	144	13.59	119	2.80
22	मेघालय	241	52	6	23	160	15.82	142	4.14
23	मिजोरम	85	37	5	11	32	6.04	27	1.01
24	नागालैंड	121	46	3	6	66	8.44	58	1.64
25	ओडिशा	6651	1414	283	580	4374	564.21	3938	153.25
26	पुदुचेरी	335	103	9	26	197	19.48	182	6.58
27	पंजाब	3564	883	121	306	2254	347.39	1988	81.64
28	राजस्थान	8256	2027	292	655	5282	804.77	4771	194.44
29	सिक्किम	43	16	1	7	19	3.05	17	1.14
30	तमिलनाडु	19712	5321	834	1599	11958	1178.81	10879	409.43
31	तेलंगाना	7021	1692	269	561	4499	690.42	4100	179.21
32	दादरा और नगर हवेली और दमन तथा दीव	107	23	5	14	65	9.45	58	2.43
33	त्रिपुरा	337	83	9	32	213	20.94	180	5.23
34	उत्तर प्रदेश	25492	6914	965	2647	14966	1995.06	13330	517.92
35	उत्तराखंड	3070	616	82	293	2079	256.99	1849	68.65
36	पश्चिम बंगाल	7130	1722	186	645	4577	796.44	4099	210.85
	कुल	**190579**	**46615**	**6546**	**17777**	**119641**	**16488.71**	**106906**	**4478.96**
